



2026: AHC: 29991-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - **359/2026**

ऑटो टेम्पो और श्री व्हीलर ड्राइवर एसोसिएशन समिति, अपने अध्यक्ष जहीर खान के माध्यम से
.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य उत्तरदाता(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: राम बहादुर सिंह, राहुल सिंह

उत्तरदाता(गण) के अधिवक्ता: हर्ष वर्धन गुप्ता, सीमा अग्रवाल (एस.सी. - स्थायी अधिवक्ता)

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली,

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र,

1. यह याचिका, कथित रूप से जनहित में, ऑटो टेम्पो और श्री-व्हीलर चालक संघ द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 को ऑटो, टेम्पो और श्री-व्हीलर के चालकों से अवैध जबरन वसूली शुल्क न लेने का निर्देश देने की मांग करते हुए दायर की गई है।
2. वर्तमान प्रकृति की जनहित याचिका दायर करना, जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 के विरुद्ध कथित अवैध गतिविधियों में शामिल न होने का निर्देश मांगा गया है, स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 4 के विरुद्ध अवैधता करने से संबंधित आरोपों को इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित करके प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान प्रकृति का स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



करना, यानी अवैध रूप से कार्य न करना और/या कानून का पालन करना, कानून के किसी भी प्रावधान के तहत परिकल्पित नहीं है।

3. फलस्वरूप, हमें वर्तमान याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं मिला है, इसलिए इस खारिज किया जाता है।

11 फरवरी, 2026

ए.एच.ए./ज्योत्सना

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"